न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03 / 2021
प्रविष्टि दिनांक 18.03.2021

रामदयाल जाट पुत्र भूरालाल जाति जाट नटवाड़ा तहसील निवाई जिला टोंक राज0

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक (रसद विभाग) निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज0

रेस्पो0

अपील विरूद आदेश दिनांक 25.02.2021 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपस्थितिः–

1. श्री पवन कुमार जैन,अभिभाषक –अपीलान्ट
2. पेराकार सरकार –रेस्पाडेन्ट

निर्णय दिनांक 14.07.2022

अपील अपीलान्ट का सांराश इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 25.02.2021 से श्री रामदयाल जाट,उचित मूल्य दुकानदार ग्राम नटवाड़ा तहसील निवाई का प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए अप्रार्थी डीलर की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूत राशि 1000 रूपये जब्त सरकार करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट एंव पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ग्राम नटवाड़ा में उचित मूल्य दुकानदार है। रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 6.10.2020 को अपीलान्ट की दुकान का कथाकथित रूप से निरीक्षण किया गया एवं एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें कथित रूप से अनियमितता पाया जाना बताते हुए जिला रसद अधिकारी टोंक के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की है। योग्य अधिनस्थ प्राधिकारी महोदय द्वारा दिनाक 13.10.2020 को अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करते हुए अपीलान्ट को आवंटित उचित मूल्य की दुकान को डीलर श्री शंकरलाल की दुकान के साथ अ[illegible] हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपीलान्ट द्वारा कारण बताओ [illegible] परन्तु अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण को गलत रूप [illegible] करते हुए और [illegible] अआधारित करते हुए [illegible] प्रवर्तन निरीक्षक निवाई की रिपोर्ट के अनुसार [illegible] 6.10.2020 को अप्रार्थी डीलर की दुकान में 190 क्विंटल 50 किलोग्राम गेंहू कम पाया गया था एवं उसके द्वारा बाद में गेंहू [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:28:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

कर गेंहू की कमी पूर्ति करना कार्योत्तर मन्जूरी की श्रेणी में आता है,जिससे अप्रार्थी डीलर की बदनियती साबित होती है। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियती से गेहू का दुरूपयोग करना, गेंहू की सार संभाल नहीं करने पर गंभीर अनियमितता है और प्राधिकार पत्र की शर्तो की अवहेलना है। प्राधिकारी का आदेश विरोधाभासी है। एकतरफ तो यह कहा गया है कि निरीक्षण के समय गेंहू कम मिला वही दूसरी ओर यह भी पाया गया कि प्रार्थी की दूकान दूसरे डीलर के साथ अटेच करने पर उसने गेंहू संभाला वह पूर्ण था। जबकि दुकान पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा निरीक्षण की दिनाक से ही अपीलान्ट का नियन्त्रण नहीं था,बल्कि रेस्पोडेण्ट का नियन्त्रण था। ऐसी स्थिति में निरीक्षण के पश्चात गेंहूँ की पूर्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये स्पष्टीकरण का गलत रूप से निर्वचन किया गया है और आलोच्य आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लघंन नहीं किया गया है फिर भी गलत रूप से शर्तो का उल्लंघन माना है और आलोच्य आदेश पारित किया है। अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा आदेश 1976 के खण्ड 6 का उल्लघंन बताया है,लेकिन अपीलान्ट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र की किस शर्त का उल्लघंन हुआ है, का कोई उल्लेख नहीं किया है। वस्तुतः प्राधिकारी पत्र की किसी शर्त का उल्लघंन था ही नहीं,फिर भी गलत रूप से इस सम्बन्ध में विनियमन खण्ड संख्या 6 का उल्लघंन बताकर आलोच्य आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। तथाकथित निरीक्षण में कई कमिया बतायी गई थी,परन्तु अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा केवल गेहू के सम्बन्ध में ही अनियिमितता मानी है जो भी स्पष्टीकरण के गलत निर्वचन के आधार पर है। अपीलाण्ट द्वारा किसी भी आदेश की शर्तो का उल्लधंन नही किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक निवाई द्वारा अप्रार्थी डीलर की दुकान पोस कोड नं० 2692 का दिनांक 06.10.2020 को औचक निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। वक्त निरीक्षण दुकान के बाहर उचित मूल्य दुकान का नाम व मूल्य सूची बोर्ड का लिखा हुआ नहीं पाया गया। वक्त निरीक्षण तक माह अक्टूबर 2020 का वितरण कार्य शुरू नहीं किया गया। पोस मशीन में माह अक्टूबर 2020 का राशन रिसीव नहीं किया जाना पाया गया। स्टॉक रजिस्टर में माह अक्टूबर 2020 का इन्द्राज नहीं पाया गया। पोस मशीन में उपलब्ध स्टॉक 20405 किलोग्राम गेहूं एवं माह अक्टूबर 2020 का गेहू जिसको पोस में रिसीव नहीं किया 6741 किलोग्राम कुल 27146 किलोग्राम स्टॉक में होना चाहिये था,परन्तु भौतिक सत्यापन करने पर 81 क्विटल गेहूँ ही उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में 190.50 क्विंटल गेहू कम पाया गया,जिससे प्रथम दृष्टया डीलर द्वारा गेहूं का खुर्द–बुर्द किया जाना पाया गया। वक्त निरीक्षण तक माह अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर 2020 के चने का वितरण शुरू करना नहीं पाया गया, उक्त अनियमितता करने पर अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 13.10.2020 द्वारा निलम्बित किया गया एवं अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.10.2020 को जारी कर अनियमितता का बिन्दुवार जवाब मांगा गया। अप्रार्थी डीलर द्वारा दिनांक 11.11.2020 को जवाब प्रस्तुत किया कि सत्यापन करने पर 81 क्विंटल गेहूं स्टॉक में था। 190.50 क्विंटल गेहू कम पाया जाने के कारण [illegible] समय और दिया जावे। अप्रार्थी डीलर द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जवाब अपूर्ण [illegible] होने के कारण पुनः समस्त बिन्दुओं पर स्पष्ट जवाब मांगा गया। [illegible] नोटिस के बिन्दुओं पर जवाब दिनांक 14.12.2020 को बिन्दुवार जवाब [illegible] 2020 के गेहूं मशीन में नहीं चढ़ने की वजह से स्टॉक रजिस्टर [illegible] 271 क्विंटल 46 किलोग्राम गेहूं स्टॉक में होना चाहिये था सत्यापन करने पर 81 क्विटल गेहू दुकान में उपलब्ध थे,जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:28:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

सत्यापन में 190 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहू कम पाया गया, 190 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहू मैंने खरीद लिया है। अप्रार्थी डीलर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 14.12.2020 के सत्यापन हेतु प्रवर्तन निरीक्षक निवाई से दुकान में उपलब्ध गेहू का सत्यापन करने हेतु निर्देश दिये जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक निवाई द्वारा दिनांक 25.02.2021 को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी डीलर के गोदाम में पूर्व में दिनाक 06.10.2020 को निरीक्षण करने पर 190 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहूं 250 किलोग्राम चना एव 232.50 किलोग्राम चीनी उपलब्ध नहीं पाए गए थे। दिनांक 25.02.2021 को उक्त स्टॉक (381 कट्टे +30 = 411 कट्टे मौके पर उपलब्ध पाये गये परन्तु अटैच डीलर श्री शंकरलाल जाट द्वारा मौके पर 272 कट्टे गेहूं एवं 250 किलोग्राम चना एवं 45 किलोग्राम चीनी स्टॉक का अधिग्रहण किया जाना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जवाब असंतोषप्रद है। प्रवर्तन निरीक्षक निवाई की रिपोर्ट अनुसार वक्त निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को अप्रार्थी डीलर की दुकान में 190 क्विटल 50 किलोग्राम गेहूं कम पाया गया था एवं उसके द्वारा बाद में गेहूं खरीदकर गेहूं की कमीपूर्ति करना कार्योत्तर मंजूरी (Post facto) की श्रेणी में आता है,जिससे अप्रार्थी डीलर की बदनियति साबित होती है। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से गेहू का दुरूपयोग करना, गेहूं की सार–सम्भाल नहीं करने पर गम्भीर अनियमितता है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना है। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 का उल्लंघन है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधंन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। श्री रामदयाल जाट,उचित मूल्य दुकानदार ग्राम नटवाडा तहसील निवाई की दुकान का प्रवर्तन निरीक्षक निवाई द्वारा दिनांक 06.10.2020 का औचक निरीक्षण करने पर दुकान के बाहर उचित मूल्य दुकान का नाम व मूल्य सूची बोर्ड का लिखा हुआ नहीं पाया गया। माह अक्टूबर 2020 का वितरण कार्य शुरू नहीं किया गया। पोस मशीन में माह अक्टूबर 2020 का राशन रिसीव नहीं किया जाना पाया गया। स्टॉक रजिस्टर में माह अक्टूबर 2020 का इन्द्राज नहीं पाया गया। पोस मशीन में उपलब्ध स्टॉक 20405 किलोग्राम गेहूं एवं माह अक्टूबर 2020 का गेहू जिसको पोस में, रिसीव नहीं किया 6741 किलोग्राम कुल 27146 किलोग्राम स्टॉक में होना चाहिये था,किन्तु भौतिक सत्यापन करने पर 81 क्विटल गेहूं ही उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में 190.50 क्विंटल गेहू कम पाया गया। माह अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर 2020 के चने का वितरण शुरू करना नहीं पाया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 14.12.2020 मे स्वंय ने स्वीकार किया है कि 271 क्विंटल 46 किलोग्राम गेहूं स्टॉक में होना चाहिये था, परन्तु सत्यापन के दोरान 81 क्विंटल गेहू ही दुकान में उपलब्ध थे। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में 190 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहूँ कम पाये जाने के बाद अप्रार्थी डीलर द्वारा 190 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहूँ खरीदा गया है। डीलर द्वारा बाद में गेहूँ खरीदकर गेहूं की कमी–पूर्ति [illegible] facto)की श्रेणी में आता है,जिससे अप्रार्थी डीलर की बदनियति साबित होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:28:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला रसद अधिकारी टोंक द्वा[illegible] 16.04.2021 से मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी टोंक से [illegible] लिखे जाने पर मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी टोंक ने उनके पत्र कमांक 913 दिनांक 22.04.2021 से जिला रसद

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

अधिकारी टोंक को अवगत कराया है कि दिनांक 22.04.2021 को कार्यालय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. मदन लाल गुर्जर व प्रवर्तन निरीक्षक कीर्ति शर्मा द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किये जाने पर पाया कि राशन डीलर श्री रामदयाल जाट सेन्टर नटवाडा के कब्जे मे रखे अनुमानित 139 कट्टे गेहूँ का भौतिक निरीक्षण करने पर अनुमानित 80–85 कट्टो मे से रेण्डम चयन कर 6–7 कट्टो के गेहूँ का निरीक्षण करने पर गेहूँ मे जीवित कीडे व मृत कीडे पाया गये एंव 70–80 प्रतिशत गेहूँ खोखले मिले एंव गेहूँ को हाथ मे लेने पर गेहूँ का पावडर हाथो के साथ लगता हुआ मिला,इससे यह सिद्व होता है कि अप्रार्थी (डीलर) द्वारा उक्त गेहूँ का रख–रखाव सही तरीके से नही किया गया है।

अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से गेहूँ का दुरूपयोग करना,गेहूं की सार–सम्माल नहीं करने पर गम्भीर अनियमितता की है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना की है। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकार टोंक ने अपीलाण्ट द्वारा राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 का उल्लधंन करने के कारण प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 25.02.2021 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:28:27 IST
Reason: SelfAttested